Annexure-4 (i)

राजस्थान सरकार

निदेशालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ(23)लेखा/आकाशि/अनुदान/2005-06/88

दिनांक 15-7-05

कुल सचिव,
महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय
अजमेर

विषय– सत्र 2005–06 में नवीन महाविद्यालय प्रारम्भ करने हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करने बाबत

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के आधार पर निर्देशानुसार निजी क्षेत्र में नवीन महाविद्यालय सत्र 2005–06 में प्रारम्भ करने हेतु निम्नांकित शर्तों पर, निम्नलिखित संस्थाओं को उनके नाम के सम्मुख अंकित संकाय/विषय हेतु तीन वर्ष के लिये अस्थाई अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी किया जाता है –

क्र. सं.	स्पोंसर संस्था का नाम व पता	प्रस्तावित महाविद्यालय का नाम	विषय/ संकाय
1	2	3	5
1	काम्पिटिशन प्लस संस्थान, 52/792 वेद विहार लोहाखान अजमेर	हुकुमचन्द महिला नेशनल इंस्टीटयूट आफ साईंस एण्ड टेक्नोलोजी, वेद विहार लोहाखान, अजमेर अजमेर	एम.एस.सी. (फार्मेस्यूटिकल केमेस्ट्री)

1. संस्था को तीन वर्ष की अवधि में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार स्वंय की भूमि पर भवन निर्माण का कार्य पूर्ण करना होगा तथा अन्य आधारभूत संरचनाके कार्य भी पूर्ण करने होगें । तत्पश्चात् संस्था को इसके निरीक्षण हेतु इस कार्यालय को सूचित करना होगा ।
2. संस्था/महाविद्यालय को यू.जी.सी. द्वारा समय–समय पर जारी विनियमों/दिशा–निर्देशों की शब्दशः पालना करनी होगी।
3. अस्थाई परिसर में संस्था/महाविद्यालय को प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी तथा प्रथम वर्ष/पूर्वाद्ध की कक्षायें चलाने हेतु पर्याप्त भवन उपलब्ध होना आवश्यक है। इसी प्रकार अगले वर्षो में चलायी जाने वाली कक्षाओं के लिए तदनुसार वर्ष में भवन उपलब्ध होना आवश्यक है ।
4. शिक्षण व अन्य शुल्क बाबत राज्य सरकार के निर्णयों को लागू करने हेतु संस्था व महाविद्यालय बाध्य होंगे।
5. छात्रों के प्रवेश से पूर्व महाविद्यालय को सम्बन्धित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता (affiliation) प्राप्त करना अनिवार्य होगा ।
6. स्वीकृत पाठ्यक्रमों हेतु सम्बन्धित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त करना अनिवार्य होगा ।
7. महाविद्यालय में प्रवेश प्रदान करने से पूर्व निर्धारित मापदण्ड के अनुसार सुविधाओं को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सम्बद्धन प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय की होगी ।
8. राज्य सरकार द्वारा वर्तमान एवं भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई अनुदान उक्त संस्था/महाविद्यालय को देय नहीं होगा ।
9. आवश्यकतानुसार आयुक्त कार्यालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा संस्था/महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संस्था/महाविद्यालय अधिकृत अधिकारी द्वारा चाहा गया अभिलेख उपलब्ध करायेगा ।
10. ट्रस्ट/संस्था की सम्पूर्ण योजना की अनुमानित लागत का 10 प्रतिशत ब्यय प्रथम वर्ष में व्यय किये जाने की क्षमता का होना आवश्यक है ।
11. स्वीकृत पाठ्यक्रमों के लिए महाविद्यालय में उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं (मय यूजीसी द्वारा निर्धारित योग्यताधारी शिक्षकों तथा कम्प्यूटर कोर्स हेतु यूजीसी योग्यताधारी नहीं होने पर एआईसीटीई द्वारा निर्धारित योग्यता वाले शिक्षक) के सम्बन्ध में एवं विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त करने की सुनिश्चितता से संस्था/महाविद्यालय द्वारा कालेज शिक्षा विभाग को अवगत करवाना आवश्यक होगा।
12. संकाय/विषयवार सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा किया जाकर राज्य सरकार एवं कालेज शिक्षा विभाग को सूचित किया जायेगा तथा महाविद्यालय द्वारा तदनुसार संख्या सीमा में ही छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा ।
13. संस्था द्वारा स्थायी जमा में जमा करायी गई राशि 5 वर्ष तक जमा रखनी होगी तथा प्रत्येक 5 वर्ष बाद उसका नवीनीकरण कराया जावेगा।

PRINCIPAL
Hukumchand Noble
Institute of Science & Technology
Danta, Beer Circle
Nasirabad Road, AJMER

राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

कमाक : एफ 4 (03/176) आकाशि/अनु/05/10103 दि0 30 दिसम्बर, 2008

आदेश

निम्नलिखित महाविद्यालयों को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के अनुसार अकादमी सत्र 2008-09 से पूर्व मे संचालित संकायों/विषयों में स्थाई अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है:-

क्र. सं.	पत्रा. सं.	महाविद्यालय का नाम	महाविद्यालय का पता	सम्बद्धक विश्वविद्यालय	विषय/संकाय
1	176	हुकुमचन्द नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ साईंज एण्ड टेक्नोलोजी	दांता, वीर चौराहा के पास, अजमेर	एम.डी.एस. विश्वविद्यालय, अजमेर	पूर्व संचालित विषय संकाय

1. संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बद्धन प्राप्त करने का दायित्व स्वंय संस्था का होगा ।
2. संस्था महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यू.जी.सी. अर्हताधारी प्राचार्य एवं व्याख्याताओं तथा निर्धारित मानदण्डानुसार अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति के साथ-2 अन्य निर्धारित शर्तों की पालना करेगी ।
3. राज्य सरकार संस्था को वर्तमान व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी ।
4. संस्था को समय-2 पर यू.जी.सी./राज्य सरकार/आयुक्त कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी ।
5. संस्था द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 तथा तत्सम्बन्धी नियम 1993 के सभी उपबन्धों की निरंतर अनुपालना सुनिश्चित की जावेगा ।
6. संस्था को स्थाई मान्यता इस शर्त पर जारी की जाती है कि संस्था द्वारा उपरोक्त शर्तों का कभी भी उल्लंघन करने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही कर स्थायी मान्यता को प्रत्याहरित (Withdraw) किया जा सकता है ।
7. संस्था को प्रत्येक सत्र में कम से कम एक बार आयुक्त कार्यालय से निरीक्षण करवाने हेतु आवेदन करना होगा।
8. संस्था को दो वर्ष की अवधि में NAAC से मूल्यांकन करवाना अनिवार्य होगा ।
9. विधि महाविद्यालयों को बी.सी.आई. के नियमों की निरन्तर अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी ।
10. प्रति वर्ष आयुक्तालय से सांख्यकी पुस्तिका प्राप्त कर निर्धारित अवधि में पूर्ण सूचनायें भरकर आयुक्तालय को भेजेगी।

(पवन कुमार गोयल)
आयुक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा राज्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
5. जिला कलेक्टर, अजमेर ।
6. विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. कुल सचिव, एम.डी.एस. विश्वविद्यालय, अजमेर ।
8. सचिव, सम्बन्धित महाविद्यालय (रजिस्टर्ड ए.डी.)
9. सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
10. संबंधित संस्था/ महाविद्यालय पत्रावली।
11. रक्षित पत्रावली ।

संयुक्त-निदेशक (अनुदान)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

PRINCIPAL
Hukumchand Noble
Institute of Science & Technology
Danta, Beer Circle
Nasirabad Road, AJMER

Annexure-10 (i)

राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 4 (23) लेखा/आकाशि/अनु/2006–07/537

दि0 17.6.06

कुल सचिव,
एम.डी.एस विश्वविद्यालय,
अजमेर ।

विषयः– हुकुमचन्द महिला नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ साइन्स एण्ड टैक्नोलोजी, अजमेर को सहशिक्षा में परिवर्तन करने बाबत ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत हुकुमचन्द महिला नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ साइन्स एण्ड टैक्नोलोजी, अजमेर को सहशिक्षा महाविद्यालय में परिवर्तन कर हुकुमचन्द नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ साइन्स एण्ड टैक्नोलोजी, अजमेर किये जाने की स्वीकृति शैक्षणिक सत्र 2006–07 से प्रदान की जाती है । उक्त महाविद्यालय को महिला महाविद्यालय से सहशिक्षा महाविद्यालय में परिवर्तन की स्थिति में जो सुविधाएं अलग से होनी चाहिए (जैसे महिलाओं हेतु कॉमन रुम आदि) उन्हें संस्था द्वारा उपलब्ध करवा कर आयुक्तालय एवं राज्य सरकार को सूचित करना होगा ।

भवदीय,

(दामोदर शर्मा) 16.6.06
आयुक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. उप सचिव (जे), मा0 मुख्यमंत्री महोदय,(उच्च शिक्षा) राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा राज्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
5. उप सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा(ग्रुप–4) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. जिला कलेक्टर, अजमेर ।
8. अध्यक्ष/सचिव/मंत्री, सम्बन्धित संस्था/ महाविद्यालय।
9. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
10. सांख्यकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
11. रक्षित पत्रावली।

16/6/06

संयुक्त–निदेशक(अनुदान)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान,
जयपुर।

Reeta
PRINCIPAL
Hukumchand Noble
Institute of Science & Technology
Danta, Beer Circle
Nasirabad Road, AJMER

राजस्थान सरकार
कॉलेज–शिक्षा

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमाक : एफ 4 (03) आकाशि/अनु/05/607 दिनांकः– 30/05/2014

संशोधन–आदेश

इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ 4(03)आकाशि/नि.सं./05/456 दिनांक 14.03.2014 के द्वारा "हुकुमचन्द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइन्स एण्ड टेक्नोलॉजी, वेद विहार दांता, अजमेर" का नाम परिवर्तिन हेतु किये गये आदेश में "हुकमचन्द नोबल इंस्टीट्यूट ऑफ साइन्स एण्ड टेक्नोलॉजी, वेद विहार दांता, अजमेर" टंकित हो गया हैं, अतः इसके स्थान पर "हुकुमचन्द नोबल इंस्टीट्यूट ऑफ साइन्स एण्ड टेक्नोलॉजी, वेद विहार दांता, अजमेर" पढ़ा जायें।

(समीर सिंह चन्देल)
आयुक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
4. जिला कलेक्टर, अजमेर।
5. कुल सचिव, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर।
6. सम्बन्धित संस्था/महाविद्यालय।
7. सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
8. रक्षित पत्रावली ।

30/5/14

संयुक्त निदेशक (निजी संस्थायें)
कॉलेज शिक्षा, राज.,जयपुर

Reeta
PRINCIPAL
Hukumchand Noble
Institute of Science & Technology
Danta, Beer Circle
Nasirabad Road, AJMER

10 (iv)

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

क्रमांक:एफ.14(103)शैक्ष. I I/मदसविवि/2014/ दिनांक:

अधिसूचना

पूर्व में आयुक्त, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी आदेश क्रमांक: एफ.4(03) आकाशि/नि.सं./05/456 दिनांक 14.03.2014 के द्वारा "हुकुमचन्द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइन्स एण्ड टेक्नोलॉजी, वेद विहार, दांता, अजमेर" का नाम परिवर्तित कर **"हुकमचन्द नोबल इंस्टीट्यूट ऑफ साइन्स एण्ड टेक्नोलॉजी, वेद विहार, दांता, अजमेर"** किये जाने के क्रम में विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक: 7888 दिनांक 12.05.2014 जारी की जा चुकी है।

इस सम्बन्ध में आयुक्त, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी संशोधन आदेश क्रमांक: एफ.4(03) आकाशि/अनु/05/607 दिनांक 30.05.2014 के द्वारा "हुकुमचन्द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइन्स एण्ड टेक्नोलॉजी, वेद विहार, दांता, अजमेर" का नाम परिवर्तित हेतु किये गये आदेश में **"हुकमचन्द नोबल इंस्टीट्यूट ऑफ साइन्स एण्ड टेक्नोलॉजी, वेद विहार, दांता, अजमेर"** टंकित हो गया है, सूचित करते हुए **"हुकमचन्द नोबल इंस्टीट्यूट ऑफ साइन्स एण्ड टेक्नोलॉजी, वेद विहार, दांता, अजमेर"** के स्थान पर **"हुकुमचन्द नोबल इंस्टीट्यूट ऑफ साइन्स एण्ड टेक्नोलॉजी, वेद विहार, दांता, अजमेर"** पढा जावे बाबत् सूचित किया गया है।

अतः पूर्व में उक्त महाविद्यालय के नाम परिवर्तन के सम्बन्ध में जारी विश्वविद्यालय अधिसूचना क्रमांक: 7888 दिनांक 12.05.2014 की निरंतरता में एवं आयुक्त, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी संशोधन आदेश क्रमांक: एफ.4(03) आकाशि/अनु/05/607 दिनांक 30.05.2014 की अनुपालना में आदेशानुसार **"हुकमचन्द नोबल इंस्टीट्यूट ऑफ साइन्स एण्ड टेक्नोलॉजी, वेद विहार, दांता, अजमेर"** के स्थान पर **"हुकुमचन्द नोबल इंस्टीट्यूट ऑफ साइन्स एण्ड टेक्नोलॉजी, वेद विहार, दांता, अजमेर"** पढा जावे ।

-sd-
कुलसचिव
दिनांक: 09-7-14

क्रमांक:एफ.14(103)शैक्ष. I I/मदसविवि/2014/ 13134-48

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर ।
2. विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
3. प्राचार्य, **हुकुमचन्द नोबल इंस्टीट्यूट ऑफ साइन्स एण्ड टेक्नोलॉजी, वेद विहार, दांता, अजमेर** ।
4. निदेशक, सीडीसी/रिसर्च, मदस विश्वविद्यालय, अजमेर ।
5. परीक्षा नियंत्रक/वित्त नियंत्रक, मदस विश्वविद्यालय, अजमेर ।
6. उपकुलसचिव/अनुभागाधिकारी-परीक्षा/गोपनीय/वित्त एवं लेखा/उपाधि/मुद्रण एवं विविध, मदस विश्वविद्यालय, अजमेर ।
7. निजी सचिव-कुलपति/निजी सहायक-कुलसचिव, मदस विश्वविद्यालय, अजमेर ।

उपकुलसचिव (शैक्ष. I I)

Reeta
PRINCIPAL
Hukumchand Noble
Institute of Science & Technology
Danta, Beer Circle
Nasirabad Road, AJMER